न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी (कलक्टर) झालावाड़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी डॉ. भारती दीक्षित, आई0ए0एस0

मि0नं0 07/अपील (आर0टी0आई)/2022

लोकेश नागर आ0 नन्दकिशोर, ग्राम पोस्ट हरिगढ तहसील खानपुर

बनाम

लोक सूचना अधिकारी नायब तहसीलदार उप तहसील सारोलाकंला

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

दिनांकः 22.02.2022

–:: **निर्णय** ::–

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराई जाने पर प्रस्तुत की गई है।

अपीलान्ट ने अपील मेमों में निवेदन किया कि अपीलान्ट ने 1. ग्राम मालनवासा उप तहसील सारोलाकलां की आराजी ख0न0 937,970,971 की वर्ष 1970–2021(उक्त प्रति संवत जो इस दौरान आते हैं)की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति। 02. उक्त आराजी की वर्ष 1970–2021 तक समस्त सेटलमेन्ट की नकल की प्रमाणित प्रति । 03. ग्राम मालनवासा उप तहसील सारोलाकंला की आराजी ख0न0 915,1124,1124/1194,1125 की सम्वत 2067–2070 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति। लोक सूचना अधिकारी, नायब तहसीलदार सारोलाकंला द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराने पर अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नायब तहसीलदार सारोलाकला को नोटिस भिजवाया जाकर आवेदन पत्र पर विधिवत विनिश्चय करते हुए अपीलार्थी को सूचित कर प्रति पेश करने हेतु निर्देशित किया गया व इसी तरह अपीलान्ट को भी दिनांक 22.02.2022 सुनवाई की दिनांक निश्चित कर उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया। अपीलान्ट बावजूद सूचना उपस्थित नही होने पर उनका पक्ष नही सुना जा सका।

लोक सूचना अधिकारी प्रत्यर्थी नायब तहसीलदार उप तहसील सारोलाकंला की और से नायब तहसीलदार खानपुर को भिजवाया गया जिनके द्वारा अवगत कराया गया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना की निर्धारित फीस जमा नही करवाये जाने पर सूचना उपलब्ध नही कराई गई है। निर्धारित फीस जमा कराने पर वांछित नकल उपलब्ध करादी जावेगी। अपील निराधार होने से खारिज करने का अनुरोध किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नायब तहसीलदार उपतहसील सारोलाकला से चाहा गया रेकार्ड उनके द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध नही कराया जाना साबित है इसी कारण अपीलान्ट द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। चूंकि नायब तहसीलदार खानपुर द्वारा व्यक्त किये गये कथन से हम संहमत हैं कि निर्धारित फीस जमा नही करवाने से नकलें उपलब्ध नही करवाई गई है किन्तु अपने कथन की पुष्टी किसी दस्तावेजी साक्ष्य से नही करवाई गई है । उपरोक्त विवेचन से अपील स्वीकार कर नायब तहसीलदार सारोलाकलां को वांछित नकलें निशुल्क अपीलान्ट को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये जाते है। प्रकरण का इसी अनुरुप निस्तारण किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांकः 22.02.2022 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. भारती दीक्षित)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर,झालावाड

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़

क्रमांकः 108-10 /रीडर/22

दिनांक 3/3/22

प्रतिलिपिः–

01.प्रभारी अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम,कलक्ट्रेट,झालावाड

02.लोक सूचना अधिकारी, नायब तहसीलदार सारोलाकला

03.लोकेश नागर आ0 नन्दकिशोर, ग्राम पोस्ट हरिगढ तहसील खानपुर

प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर,झालावाड